

भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्रांक /
सेवा में

दिनांक

मुख्य विकास अधिकारी
मथुरा।

विषय- रिट याचिका सं० 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय/स्कूल भवनों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- (1) आपका पत्र सं० 2147 दिनांक 09.02.2023।

(2) विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग-2 का पत्रांक 89/अरसठ/3 -2018 -2041/2018 दिनांक 11.01.2019।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2023 के क्रम में आप द्वारा चाही गयी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के क्रम में माँगी गयी सूचना निम्नानुसार है:-

1. विद्यालय का नाम- द मिलेनियम स्कूल मौजा गोविन्दपुर निकट राधा वैली मथुरा।
2. विद्यालय तक पहुँच मार्ग- उपलब्ध हैं

विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि भूतल पर 10 कक्ष, प्रथम तल पर 10 कक्ष एवं द्वितीय तल पर 10 कक्षों के अतिरिक्त कार्यालय, प्रधानाचार्य कक्ष, प्रबन्धक कक्ष, स्टॉफ रूम, ऑफिस कक्ष एवं आगन्तुक कक्ष आर०सी०सी० से निर्मित है। प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के बैठने हेतु उचित व्यवस्था है। भूतल से प्रथम तल, द्वितीय एवं छत पर आने जाने हेतु झीने निर्मित हैं। विद्यालय भवन में सामान्य विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त आकस्मिक विद्युत व्यवस्था जनरेटर के माध्यम से संचालित है। विद्यालय में खेल-कूद एवं हल्के वाहन खड़े करने हेतु उचित व्यवस्था है। विद्यालय भवन टिकाऊ एवं मजबूत है तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों एवं लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत होता है।

नोट- उक्त प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष है।

(अजय कुमार)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०

मथुरा

दिनांक 23/2/2023

पत्रांक 859 / Comp / IAE
प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्धक द मिलेनियम स्कूल मौजा गोविन्दपुर निकट राधा वैली मथुरा।

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि०

मथुरा